WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

MAY 2021

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

E-mail: wupcc@rediffmail.com **Website:** www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain

- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**
  Ms. Sarita Agarwal

- **Patrika Committee**

- **Chairman**
  Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain

- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

WUPCCI

INDEX

- इसलिए है चूक (अप्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर)
- Cabinet gives ex-post facto approval for amendments to Finance Bill, 2021
- Sebi issues guidelines for warehousing norms for agri, non-agri goods
- RBI extends interest subsidy scheme for exporters till June 2021
- Customer privacy, data protection non-negotiable, says RBI Deputy Governor
- लोन मोरेटोरियम 2.0 : व्यक्तिगत कर्जदाता ऐसे उठाए लाभ
- आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 50 हजार करोड़
- एमएसएमई को राहत, उत्पादन कटौती को नहीं होंगे बाध्य
- औद्योगिक इकाइयों के हाउस टैक्स को तर्कसंगत बनाने की तैयारी
- कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की COVID-19 हेल्पडेस्क की शुरुआत; निर्यात, आयात से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मिलेगी मदद
- ई-वे बिल नियमो में राहत संभव
- प्रदेश के लाखो स्टांप वेंडर्स को हाई कोर्ट से बड़ा झटका
- बिना ई-वे बिल के जीएसटी चोरी पर ओर कसेगी लगाम
- बिना बिल के माल खरीदने वाले व्यापारियों पर कार्यवाई की तैयारी
- जीएसटी रिटर्न पर लेट फाइन में कारोबारियों को मिली बड़ी राहत
- अर्थव्यवस्था की रीढ़ है छोटे-मझोले उद्यम, बढ़ाएंगे आर्थिक मदद : निर्मला सीतारमण
- उद्योगों की तर्ज पर रियल एस्टेट को भी मिल सकती है रियायत
- निर्यात समस्याओं का ऑनलाइन समाधान
- इंट्रा-डे ट्रेडिंग पर जाने, कैसे लगेगा आयकर
- ऑनलाइन फॉर्म से आयातकों को मिलेगा कस्टम क्लीयरेंस
- अनुपयोगी नियम-कानून हटाने के लिए उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग समूह का गठन
- पीएफ पर बीमा रकम सात लाख रूपये हुई
- टैक्स-फ्री नहीं रही पीएफ से हासिल आय
- ऑनलाइन एफडी के नाम पर ठगी
- आरसी ट्रांसफर के आसान नियम अधिसूचित
- बाद में भुगतान सुविधा घाटे का सौदा (अभी ख़रीदे और बाद में चुकाए स्कीम)
- खेती की जमीन पर मकान बनाया तो देनी होगी फीस
- भूमि के श्रेणी परिवर्तन का एमपी फॉर्मूला लागू करने की तैयारी

श्रद्धांजलि

वर्तमान महामारी में इस चैम्बर परिवार के जो सम्मानित सदस्यगण हमसे असमय ही बिछड़ गए उनको यह चैम्बर अपनी अश्रुपूर्ण नेत्रों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करता है कि हे परम पिता परमेश्वर ! दिवगंत आत्मा को सद्गति एवं उनके परिवार व प्रियजनों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करे।

WUPCCI

इसलिए है अचूक (प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर)

मेडिकल जगत में माना जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी किसी रोग से अच्छा है कि उससे बचाव किया जाए। कोरोना के मामले में भी ऐसा ही है। अगर हम कोविड अनुकूल अपना व्यवहार रखे, यानी सही तरीके से मास्क लगाए, दो गज की दूरी रखे और अपना खान पान व जीवनशैली दुरस्त रखकर अपने प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करते रहे तो कोरोना वायरस हमें संक्रमित नहीं कर पायेगा। बीमार ही नहीं होंगे तो इलाज की भी जरुरत नहीं होगी।

इस महामारी को रोकने के लिए चिकित्सकीय कदम के तहत सबसे कारगार उपाय टीका है जोकि बड़ी आबादी तक पहुँचाना बड़ी चुनौती है। साथ ही यह भी सही है कि टीका लगाने के बाद भी आपको मास्क लगाना ही है। तभी आप खुद व औरो को सुरक्षित रख पाएंगे। कोई भी टीका शत प्रतिशत कारगार नहीं है। अगर कोई टीका 70 फीसदी कारगार है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर उसे 100 लोगो को लगाया जा रहा है तो 70 पर ही उसका प्रभावी असर हो रहा है। बाकी 30 लोगो लिए टीका न लगाए जाने जैसा साबित होगा। ऐसे में अगर आप टीके के बाद मास्क नहीं लगाते तो कैसे तय कर पाएंगे कि आप 30 वाले धड़े में है या 70 वाले में। साथ ही मान लीजिए आप कोरोना वायरस से शत प्रतिशत प्रतिरक्षी हो चुके है और यह वायरस आपकी नाक में किसी तरह से प्रवेश कर जाता है। ऐसे में यह भले आपके शरीर ना जा पा रहा हो, लेकिन आपकी श्वास से दूसरे संक्रमित हो सकते है। इसलिए अपनी और दूसरो की सुरक्षा के लिए किन्ही भी परिस्थिति में मास्क से लैस होना आपका दायित्व है।

केस स्टडी : उदाहरण के तोर पर खसरे की महामारी ले लीजिए। खसरे के खिलाफ अमेरिका में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में हुई। इसका टीका 97 फीसदी कारगर था, लेकिन 37 साल बाद यानी 2000 में वहां इसे खत्म माना जा सका।

WUPCCI

Cabinet givesex-post facto approval for amendments to Finance Bill, 2021

The Union Cabinet gave ex-post facto approval to the official amendments to the Finance Bill, 2021, which were aimed at clarifying and rationalising tax proposals for 2021-22.

The amendments were essential to clarify and rationalise the proposals further and address stakeholders' concerns arising out of the proposals enumerated in the Finance Bill.

The Finance Bill became the Finance Act, 2021 on March 28, 2021 after receiving the President's nod. An official release said that the government's amendments to the Finance Bill, 2021 tried to address the concerns of the stakeholders with regard to the tax proposals for the fiscal.

The amendments to the Finance Bill, 2021 were primarily aimed at generating timely revenue for the exchequer and addressing the issues flagged by taxpayers and other stakeholders.

Sebi issues guidelines for warehousing norms for agri, non-agri goods

Markets regulator Sebi came out with guidelines for preparing warehousing norms by clearning corporations for agricultural, agri-processed, base and industrial metals goods.

The guidelines, which will be the minimum requirements that will be prescribed by clearing corporations for warehousing service providers, are aimed at bringing uniformity, improve ease of doing business and rationalise regulatory compliance cost, among other aspects.

In a circular, Sebi said the guidelines would come into effect from June 1, 2021.

According to the regulator, the prescribed norms are the minimum requirements/ standards which a clearing corporation will set out for compliance by its accredited WSPs (Warehouse Service Providers) and assayers.

Compliance has to be ensured in conjunction with the norms laid down by Warehousing Development and Regulatory Authority or any other government authority overseeing the warehousing or storage infrastructure and its ancillary services for the respective goods, Sebi noted.

A WSP is an entity which provides a storage facility for storing underlying goods related to a commodity derivatives contract.

"The clearing corporations shall have necessary arrangements to ensure that in the event of bankruptcy or insolvency of the WSP or other such contingency, there must be no restrictions placed upon owners/ depositors of the commodity desiring to take possession of their individually identified commodity and remove it from the accredited warehouse(s)," Sebi said.

A WSP can be accredited with more than one clearing corporation and clearing corporations cannot mandate that its WSP cannot provide services to other such corporations. An accredited WSP should have a minimum subscribed and paid-up share capital of Rs 10 crore.

As per Sebi, the promoter or promoter groups of a WSP should be in the business of public warehousing for at least three years and a clearing corporation can relax the requirement, subject to certain conditions.

The regulator noted that net worth requirements vary for agricultural/agri-processed, base/industrial metals and composite goods. A WSP may be given six months to augment the net worth in case of reduction below stipulated requirement.

If a WSP is still unable to augment the net worth, clearing corporations should ensure that the WSP does not carry out any new business related to commodity derivatives market.

"The value of the goods stored in the accredited storage facilities of WSP shall not, at any point of time, exceed 33 times the net worth of the WSP, irrespective of the number of clearing corporations being served by the WSP," Sebi said.

Clearing corporations should ensure that WSPs comply with Know Your Depositor (KYD) policy under a standard operating procedure that is process-dependent and not person-dependent.

Among other requirements, clearing corporations have to review and appraise operational performance of each WSP every year and frame code of conduct for the WSPs, storage facilities and assayers, as per the circular.

Sebi has also listed out the disclosures that WSPs need to make to the clearing corporations and specified guidelines for security deposit, financial security deposit and corporate governance norms for WSPs.

Further, a clearing corporation should ensure that it has a grievance cell to handle the investor complaints and shall take proactive steps to resolve the complaints.

Clearing corporations should ensure that to the extent possible, a WSP to be accredited by them has adopted or should adopt the latest technology with respect to the operations of the warehousing business.

The guidelines for warehousing norms are for goods underlying a commodity derivatives contract having the feature of physical delivery.

RBI extends interest subsidy scheme for exporters till June 2021

"The extension takes effect from April 1, 2021, and ends on June 30, 2021, covering a period of three months," the RBI (Reserve Bank of India) said in a statement on Tuesday.
"Consequently, the extant operational instructions issued by the Reserve Bank under the scheme shall continue to remain in force up to June 30, 2021," it added.

Also Read: ***Govt announces interest equalisation scheme to boost exports***
The commerce ministry had been trying to ensure that the interest equalization scheme, which lapsed on March 31, got extended by the RBI, to help Indian exporters struggling to manage their business in the uncertain global market, amid the COVID-19 pandemic.
The scheme, announced in April 2015, gives subsidy on interest provided on pre-and post-shipment export credit varying between 3% and 5% to exporters.
The banks give credit at lower interest rates to exporters and the differential amount is later refunded by the government.
Besides, the MSME exporters of all items, exporters of 416 identified products are also eligible to avail of the benefit.

Customer privacy, data protection non-negotiable, says RBI Deputy Governor

Reserve Bank Deputy Governor M Rajeshwar Rao has said that technological innovation in banking is of paramount importance but cannot be pursued at the cost of customer privacy and data protection which are non-negotiable. "We must generate trust amongst the customers that their data is safe and secure in all their financial relationships with regulated entities and for that - innovation and regulation should go hand-in-hand," he said while speaking at a webinar on Open Banking organised by Tata Consultancy Services (TCS) in association with the Embassy of India in Brazil on April 14. RBI posted the speech on Friday.

Open banking refers to sharing and leveraging of customer-permissioned data by banks with third party developers and firms to build applications and services, including for example those that provide real-time payments, greater financial transparency options for account holders, marketing and cross-selling opportunities.

All stakeholders, Rao added, "need to appreciate the fact that while technological innovation is of paramount importance, the customer privacy and data protection are non-negotiable."
He said stressed that "we must generate trust" amongst the customers that their

data is safe and secure in all their financial relationships with regulated entities and for that - innovation and regulation should go hand-in-hand.

The RBI Deputy Governor noted that in contrast to the open banking initiatives witnessed in some countries, India has embraced an approach where both the regulator and the market have collaborated for the development of the open banking space.

In India, RBI and NPCI came out with a payment system like UPI and released its Application Programming Interfaces (APIs) for the banks and third-party app providers to build upon.

The market participants, Rao said are also driving innovation and many banks are releasing their own APIs and joining forces with the fintech companies to provide better experience to their customers.

Moreover, with the launch of Regulatory Sandbox and Reserve Bank Innovation Hub, RBI's approach has been that of encouragement and guidance, he said.

India kickstarted its approach to open banking by enabling an intermediary which will be responsible for the customers' consent management. These intermediaries are licensed as Non-Banking Financial Companies.

In September 2016, RBI announced creation of a new licensed entity called Account Aggregator (AA) and allowed them to consolidate financial information of a customer held with different financial entities, spread across financial sector regulators.

लोन मोरेटोरियम 2.0: व्यक्तिगत कर्जदाता ऐसे उठाए लाभ

कोरोना महामारी की दूसरी लहर में एक बार फिर रिजर्व बैंक ने बैंको से लोन पर मोरेटोरियम की सुविधा शुरू करने के लिए कहा है। लोन मोरेटोरियम 2.0 के तहत व्यक्तिगत कर्जदाता और एमएसएमई जिनके पास 25 करोड़ रूपये तक का कर्ज है वह इसका लाभ ले सकते है। विशेषज्ञो का कहना है कि ऐसे लोग जो पहले मोरेटोरियम में फायदा नहीं उठा पाए थे अब दूसरे ऑफर में फायदा उठा सकेंगे।

दो साल तक की राहत दे सकते है बैंक: आरबीआई ने रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत कर्जदाताओं को कोरोना की दूसरी लहर के बाद बैंको से दो साल तक मासिक क़िस्त चुकाने की छूट और कर्ज पुनर्गठन करने को कहा है।

हालांकि, आरबीआई ने यह फैसला लेने का अधिकार बैंको के ऊपर छोड़ दिया है। बैंक ग्राहकों के रिकॉर्ड देखते हुए स्वविवेक से फैसला करेंगे कि उनको किस ग्राहक को लाभ देना है या नहीं और लाभ किस तरह देंगे।

31 मार्च तक के लोन पर राहत संभव: आरबीआई की घोषणा के मुताबिक़ व्यक्तिगत कर्जदाता और छोटे कारोबारी जिन्होंने पहले के रिस्ट्रक्चरिंग से कोई लाभ नहीं उठाया और उनके लोन को 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड लोन के रूप में क्वालीफाई किया गया था, वह भी रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत फायदा ले सकते है।

पहली बार मोरेटोरियम लिया तो भी लाभ : जिन लोगो ने पहली बार इसका फायदा उठाया है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। पिछली बार मोरेटोरियम 2 साल तक के लिए था। इसको ऐसे समझे कि पिछले साल कुछ छह महीने के लिए लोन मोरेटोरियम मिला था। अब बैंक से बात कर दो मोरेटोरियम का फायदा ले सकते है।

आवेदन करने की अंतिम तारीख: आरबीआई ने कर्जदारों को 30 सितम्बर 2021 तक का समय दिया है ताकि वे अपने लोन के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंक से संपर्क कर सके। एक बार जब आप नए मोरेटोरियम के लिए आवेदन करते है, तो बैंक को सभी शर्तो को पूरा करने पर 90 दिनों के भीतर इसे लागू करने होगा।

ईएमआई नहीं चुका पाया तो क्या लाभ मिलेगा?

नहीं। ध्यान रखे कि अगर आपने लोन की ईएमआई सही समय पर नहीं चुकाया है और डिफ़ॉल्ट किया है तो आपको नए मोरेटोरियम का फायदा नहीं मिलेगा। किसी भी कर्जदाता को फायदा तभी मिलेगा, जब 31 मार्च 2021 तक लोन चुकाने में आपने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया होगा। इससे पहले के लोन मोरेटोरियम में फेज 1 में 1 मार्च 2020 से 30 मई 2020 तक महीने के मोरेटोरियम का विकल्प चुनने की अनुमति दी गई थी।

आपात स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 50 हजार करोड़

कोरोना के खतरे को देखते हुए आरबीआई ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए बड़ा एलान किया। आरबीआई ने इस क्षेत्र को 50 हजार करोड़ रूपये के सस्ते कर्ज देने की घोषणा की जो रेपो दर पर मिलेगा।

WUDCCI

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक टीका व दवा कंपनियों, कोरोना के इलाज के लिए जरुरी उपकरणों, आयातकों, अस्पतालों, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब को रेपो दर पर ऋण दे सकेंगे। आम लोगो को कोविड के इलाज के लिए भी इसी श्रेणी में ऋण मिलेगा। यह प्राथमिकता श्रेणी में मिलेगा और ऋण चुकता होने या इसकी अवधि खत्म होने तक इसी श्रेणी में बना रहेगा। बैंक 31 मार्च 2022 तक यह ऋण दे सकेंगे। इसकी अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि ऋण पुनर्गठन सम्बन्धी घोषणा के तहत कुल 25 करोड़ रूपये तक के कर्ज वाली इकाइयों के बकायों के पुनर्गठन पर विचार किया जा सकेगा।

एमएसएमई को राहत, उत्पादन कटौती को नहीं होंगे बाध्य

आरबीआई द्वारा लिए गए फैसले से एमएसएमई सेक्टर को बड़ी राहत मिली है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग की सुविधा मिलने से वे तत्काल कर्ज चुकाने के दबाव से बाहर आ जाएंगे और उन्हें कारोबार में आसानी होगी। नए एमएसएमई की लोन स्कीम अवधि को इस साल अक्टूबर से बढ़ाकर दिसम्बर तक किय जाने से सैकड़ो नई छोटी कंपनियों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी स्थिति है और वहां गैरजरूरी चीजों की बिक्री पर पाबंदी से एमएसएमई को भारी झटका लगा है। बाजार में माल फसे होने की वजह से छोटे उद्यमियों पर परिचालन पूंजी का संकट है और वे उत्पादन में कटौती के लिए मजबूर हो रहे है।

आरबीआई के फैसले से सिस्टम में निश्चित रूप से नकदी के प्रवाह में बढ़ोतरी होगी और कोरोना की वजह से प्रभावित होने वाले सेक्टर को राहत मिलेगी। स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे उद्यमियों को 10 लाख रूपये का कर्ज दे सकेंगे जिससे असंगठित क्षेत्र के उद्यमियों व कारोबारियों को काफी मदद मिलेगी। इस मद में 10000 करोड़ रूपये की सीमा तय की गई है।

आरबीआई के फैसले के मुताबिक़ जिन छोटी कंपनियों ने लोन नहीं ले रखा है, उन्हें 25 लाख तक के लोन दिए जा सकेंगे। एसबीआई के अनुमान के मुताबिक़ बैंक इस स्कीम के तहत अब 30000 करोड़ रूपये तक का ताजा कर्ज एमएसएमई को दे सकेंगे।

WUPCL

औद्योगिक इकाइयों के हाउस टैक्स को तर्कसंगत बनाने की तैयारी

प्रदेश सरकार औद्योगिक इकाइयों पर लगने वाले हाउस टैक्स को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही नीतिगत निर्णय का आदेश दे चुके है।

दरअसल, औद्योगिक संगठन लंबे समय से शिकायत करते रहे है कि टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया विसंगति पूर्ण है। आवासीय दरों की तुलना में लगभग 7-8 गुना अधिक टैक्स लगाया जा रहा है। औद्योगिक इकाइयों के हाउस टैक्स की गणना में न तो खुले स्थान की छूट मिल रही है और न ही भवनों के टूटफूट को संज्ञान लिया जाता है। उद्यमियों के अनुसार मशीनों के संचालन से उत्पन्न कंपन से औद्योगिक भवनों का टूटफूट आवासीय भवनों की तुलना में अधिक होता है। पिछले वर्ष 21 सितम्बर 2020 को यह प्रकरण मुख्यमंत्री अध्यक्षता में संपन्न राज्यस्तरीय उद्योग बंधु की बैठक में उठाया गया था। मुख्यमंत्री ने शीघ्र यथोचित नीतिगत निर्देश पारित करने को कहा था। बावजूद इसके इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। जानकार बताते है कि इसके बाद औद्योगिक संगठनो में इस प्रकरण को सही से फिर से मंडलीय उद्योग बंधु की बैठकों में उठाना शुरू कर दिया था। मंडलायुक्तों के स्तर से प्रकरण पर जल्द से जल्द आवश्यक निर्णय लेने के लिए शासन के पास पत्र भेजे जा रहे थे। इसके बाद शासन ने इस प्रकरण पर कार्यवाही शुरू की है। शासन औद्योगिक विकास विभाग ने इन्वेस्ट यूपी से इस प्रकरण पर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने पर उच्च स्तर पर निर्णय होगा।

MUPCCI

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने की COVID-19 हेल्पडेस्क की शुरुआत; निर्यात, आयात से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में मिलेगी मदद

वाणिज्य मंत्रालय ने कोविड-19 की वजह से उत्पन्न परिस्थितियों में निर्यातकों और आयातकों को पेश आ रही दिक्कतों के समाधान के लिए एक हेल्पडेस्क की शुरुआत की है। इस कोविड-19 हेल्पडेस्क के जरिए कस्टम क्लियरेंस में देरी और बैंकिंग से संबंधित समस्याओं को दूर किया

जाएगा। इससे अंतरारष्ट्रीय कारोबार से जुड़ी परेशानियों को सुलझाने में मदद मिलेगी। वाणिज्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने एक्सपोर्टर्स (निर्यातकों) और इम्पोर्टर्स (आयातकों) की स्थिति पर गौर करने व कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए हितधारकों द्वारा पेश की जा रही दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया है।

मंत्रालय ने कहा है, "DGFT ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर पैदा हो रहे मुद्दों के उचित समाधान और मदद उपलब्ध कराने के लिए 'COVID-19 Helpdesk' की शुरुआत की है।"

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि यह हेल्पडेस्क निर्यात या आयात से संबंधित लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंस में होने वाली देरी और उस वजह से पैदा होने वाली जटिलताओं, इम्पोर्ट/ एक्सपोर्ट डॉक्युमेंटेसन और बैंकिंग से जुड़े मामलों को देखेगा।

मंत्रालय ने कहा है कि यह हेल्पडेस्क केंद्र और राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों/ विभागों/ एजेंसियों से संबंधित व्यापार से जुड़े मुद्दों को भी कॉलेक्ट करेगा और संबद्ध विभाग से संपर्क करके संभव समाधान उपलब्ध कराएगा।

मंत्रालय ने कहा है, "DGFT Helpdesk Services के अंतर्गत Status Tracker के जरिए इस बात को ट्रैक किया जा सकता है कि आपके द्वारा दर्ज करायी गई शिकायत का कोई समाधान निकला है या नहीं। साथ ही किसी तरह के अन्य फीडबैक की भी जानकारी मिलेगी। टिकट जेनरेट करने के बाद अगर किसी तरह का अपडेट होता है तो ईमेल और SMS के जरिए इस बाबत सूचित किया जाता है।"

WUPCCI

ई-वे बिल नियमो में राहत संभव

जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में ट्रांसपोर्टर्स को बड़ी राहत दी जा सकती है। उन्हें ई-वे बिल एक्सपायर होने की हालत में लगने वाली पेनल्टी से छूट दी जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ट्रांसपोर्टर्स के इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है।

ट्रांसपोर्टर कारोबारियों ने वित्तमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया था साथ ही मंत्रालय में अधिकारियों को भी इस बारे में प्रेजेंटेशन दी गई है। जानकारी के मुताबिक कारोबारियों की सबसे बड़ी मुश्किल होती है ई-वे बिल का एक्सपायर होना। मौजूदा व्यवस्था में एक दिन में 200 किमी तक के लिए ही ई-वे बिल मान्यता होती है। वही अगर दूसरी एक हजार किमी की है तो यह समय 5 दिन का होता है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल नवीन कुमार गुप्ता ने हिन्दुस्तान को बताया कि ट्रक यदि तय समय सीमा से देर से पहुँचता है और ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है तो उस हालत में सामान पर लगे टैक्स के मुकाबले दो सौ फीसदी का जुर्माना देना होता है। उन्होंने कहा है कि सरकार से मांग की गई है कि मौजूदा व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से बदलते हुए राहत दी जाए।

प्रदेश के लाखो स्टांप वेंडर्स को हाई कोर्ट से बड़ा झटका

इलाहबाद हाई कोर्ट ने ई-स्टांप रूल्स 2013 के तहत अथराइज्ड कलेक्शन सेंटर (एसीसी) बनाने पर रोक लगाने और स्टांप छापना बंद किए जाने की आशंका को लेकर दाखिल ऑल यूपी स्टांप वेंडर्स एसोसिएशन की याचिका खारिज कर दी है। यह फैसला प्रदेश के लाखो स्टाम्प वेंडर्स के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ के बीच मतभिन्नता के बाद फैसला लेने के लिए गठित तीसरे न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने दे दिया है।

वेंडर्स एसोसिएशन ने यह याचिका इस आशंका में दायर की थी कि सरकार स्टांप छापना बंद कर देगी, जिससे लाखो लोगो की आजीविका छीन जाएगी। कोर्ट ने कहा कि स्टांप घोटाले को रोकने के लिए बानी ई-स्टांप नियमावली 13 के उपबंध याचियो के व्यापार और व्यवसाय सहित जीविकोपार्जन के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं करते। रूल्स की वैधता को चुनौती नहीं दी गई है। नए रूल्स से अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसमे सरकार स्टांप छापने पर रोक लगाई हो। कोर्ट सरकार को स्टांप छापने का आदेश नीतिगत मसला होने के नाते नहीं दे सकती।

WUPCCI

बिना ई-वे बिल के जीएसटी चोरी पर ओर कसेगी लगाम

सरकार ई-वे बिल वाले वाहनों के मामलो में जीएसटी अधिकारियों को रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने जा रही है। इससे टोल प्लाजा पर ट्रको को पकड़ने और जीएसटी चोरी रोकने में मदद मिलेगी। इसका अलावा अधिकारियों को उन ई-वे बिलो की विश्लेषण रिपोर्ट भी दी जाएगी, जहां वस्तुओं की ढुलाई नहीं हो रही।

दरअसल, सरकार अधिकारियों के लिए आरएफआईडी (रेडिओ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) पर वास्तविक समय और विश्लेषण रिपोर्ट पर काम कर रही है। इससे ई-वे बिल प्रणाली का दुरूपयोग करने वालो पर शिकंजा कसेगा। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल के लिए फर्जी बिल बनाने के मामलो की पहचान करने में मदद मिलेगी।

बिना बिल के माल खरीदने वाले व्यापारियों पर कार्यवाई की तैयारी

जीएसटी चोरी करने वालो पर शिकंजा कसने की तैयारी है। प्रदेश में अब तक बिना बिल माल बेचने वालो पर ही कार्यवाई होती थी, लेकिन अब खरीदने वाले व्यापारियों पर भी दंड लगाने की तैयारी है।

उप्र माल एवं सेवाकर की धारा-122 में इसकी व्यवस्था की गई है। इसी आधार पर यह कवायद हो रही है। अगर कोई व्यापारी बिना बिल के बेचते और खरीदते हुए पकड़ा जाता है तो क्रेता के साथ ही विक्रेता पर भी दंड लगाया जाएगा। इससे टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और सरकार को राजस्व भी मिलेगा। साथ ही 'इनपुट टैक्स क्रेडिट' (आईटीसी) की व्यवस्था को भी सरल किया गया है, जिससे व्यापारियों सुविधा मिल सके। सेवा क्षेत्र के व्यापारियों को समाधान योजना का लाभ देने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन लॉकडाउन और कविड-19 को देखते हुए ऐसे व्यापारियों को भी इसका लाभ देने की तैयारी है। इसके लिए यूपी जीएसटी की धारा-10 संशोधन किया गया है जिससे सेवा क्षेत्र के व्यापारी भी समाधान योजना का लाभ पा सकेंगे। मतलब उन्हें

WUPCCI

फिक्स रेट पर जीएसटी जमा करने की सुविधा मिल जाएगी। इसके आधार पर इस क्षेत्र के व्यापारी अपना बकाया टैक्स जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही आईटीसी की सुविधा व्यापारियों को दी जाएगी।

जीएसटी पंजीकरण छोड़ना होगा आसान:

कोविड-19 का असर व्यापार पर काफी पड़ा है, इसीलिए जीएसटी में पंजीकरण कराने वाले व्यापारियों को इसे वापस करने की आसान सुविधा दी जा रही है। अब तक इसे छोड़ने के लिए वकील का सहारा लेना पड़ता था, नई व्यवस्था में व्यापारी को सिर्फ ऑनलाइन कारण बताते हुए इसकी सूचना देनी होगी। इस आधार पर उसका जीएसटी में किया गया पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यापारी का पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है तो वो पूरा टैक्स जमा करते हुए इसे जीवित करा सकता है।

जीएसटी रिटर्न पर लेट फाइन में कारोबारियों को मिली बड़ी राहत

कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए सरकार ने कारोबारियों को जीएसटी रिटर्न भरने में देरी पर जुर्माने से राहत दी है। कारोबारियों व उद्यमियों की तरफ से जीएसटी रिटर्न फ़ाइल करने की अवधि बढ़ाने की मांग की जा रही थी।

वित मंत्रालय की तरफ से फिलहाल कारोबारियों को मार्च और अप्रैल के जीएसटी रिटर्न में देरी पर लगने वाले ब्याज व लेट फीस से राहत दी गई है। मंत्रालय के मुताबिक़ जिन कारोबारियों का सालाना कारोबार पांच करोड़ से अधिक का है उन्हें जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से लेकर अगले 15 दिनों तक 18 फीसद की जगह सिर्फ 9 फीसदी की दर से शुल्क देना होगा। उसके बाद रिटर्न भरने पर उन्हें 18 फीसद की दर से शुल्क देना होगा।

कम्पोजीशन स्कीम शामिल कारोबारियों को भी अपने त्रैमासिक रिटर्न में देरी पर राहत दी गई है। निर्धारित तारीख से 15 दिनों तक की देरी से रिटर्न भरने पर उन्हें कोई ब्याज नहीं देना होगा। उसके अगले 15 दिनों तक 9 फीसद और उससे अधिक देर होने पर 18 फीसदी की दर से भुगतान करना होगा।

WUPCCI

इस मामले में जीएसटी विशेषज्ञ एवं सीए प्रवीण शर्मा ने बताया कि मार्च के लिए जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल थी। कारोबारियों को सिर्फ 15 दिनों की राहत दी गई है। लेकिन कोरोना की लहर को देखते हुए इस तिथि तक भी रिटर्न भरने में सक्षम नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस समय अधिकतर लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोरोना संकट से जूझ रहे है। कई राज्यों में लॉकडाउन लगने से कारोबारियों व जीएसटी पेशेवरों के दफ्तर भी नहीं खुल रहे है।

अर्थव्यवस्था की रीढ़ है छोटे-मझोले उद्यम, बढ़ाएंगे आर्थिक मदद: निर्मला सीतारमण

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रही छोटी-मझोली कंपनियों के लिए वितीय मदद का दायरा बढ़ाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा की एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनके साथ खड़ी है।

वित्तमंत्री ने कहा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए गारंटी वाले कर्ज का दायरा ओर बढ़ाया जाएगा। महामारी में इस क्षेत्र को 3 लाख करोड़ का गारंटी युक्त कर्ज देने की योजना लाई गई। इसमें से 70 फीसद राशि अभी तक कर्ज के तोर पर बांटी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी में भी अर्थव्यवस्था का पहिया गतिमान रखने की हर संभव कोशिश कर रही है।

WUPC

उद्योगों की तर्ज पर रियल एस्टेट को भी मिल सकती है रियायत

पिछले एक साल से कोरोना संकट से बेपटरी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए सरकार उद्योगों की तरह इस सेक्टर को भी कई तरह की रियायत देने पर विचार कर रही है। इसके लिए आवास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति के सुझाव पर सरकार जल्द ही रियल

एस्टेट की परियोजनाओं को समय से और बढ़ती लागत को कम करने समेत बिल्डरों को कई तरह की छूट की घोषणा कर सकती है।

बिल्डरों के प्रमुख संगठन क्रेडाई के पदाधिकारियों के साथ शासन के उच्चाधिकारियों की इस सम्बन्ध में पिछले दिनों हुई बैठक में बिल्डरों की तमाम समस्याओं पर चर्चा हुई थी। इसी कड़ी में शासन ने समिति बनाकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सूत्र बताते है कि प्रस्ताव में वे सभी बिंदु शामिल होंगे जो अन्य उद्योगों के लिए सरकार पहले ही उद्यमियों को दे चुकी है। बैठक में क्रेडाई ने महामारी एक्ट आपदा प्रबंधन एक्ट की कार्यवाही से परियोजनाओं को मुक्त रखने की मांग की थी। शासन ने उनकी मांगो के आधार पर समिति को प्रस्ताव तैयार करने को कहा है।

यूपी क्रेडाई के संयुक्त सचिव रमनदीप ने बताया कि परियोजनाओं के लेट होने के सम्बन्ध में हमने बात की है। लॉकडाउन में परियोजनाओं का लेट होना सामान्य है। इसपर सहानुभूति विचार होना चाहिए। प्रमोटर्स कुछ ओर समय चाहते है। पदाधिकारियों में से कई की राय यह भी थी कि सबके लिए काम करने की चुनौतियां अलग होंगी लिहाजा सबके लिए एक सा नियम बनाने के बजाए प्रमोटर से पूछकर उसके मुताबिक़ परियोजना पूरा करने का समय तय किया जाए। संभावना है कि उनके सुझावों को भी प्रस्ताव में शामिल किया सा सकता है।

क्रेडाई की पूरी हो सकती है ज्यादातर मांगे:

आवास विभाग के एक उच्चपदस्थ सूत्र के मुताबिक़ रियल एस्टेट परियोजनाओं को शुरू कराने के लिए सरकार क्रेडाई की ज्यादातर मांगो को मानेगी। इसके तहत काम करने वाली साइट्स पर कोई मजदूर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो इसके लिए बिल्डर पर आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं कराया जाएगा। क्रेडाई की यह मांग थी कि उनके काम में काफी स्किल्ड लेबर की जरुरत होती है। इसलिए दूसरे प्रदेश से स्किल्ड लेबर को साइट तक लाने में कोई व्यवधान पैदा न किया जाए। परियोजनाओं के लेट होने पर सरकार से ओर अतिरिक्त समय देने की भी मांग की है।

निर्यात समस्याओं का ऑनलाइन समाधान

वाणिज्य मंत्रालय ने आयात और निर्यात में आने वाली समस्याओं के लिए ऑनलाइन समाधान की सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने बताया कि निर्यातकों या आयातकों को विदेशी व्यापार, कस्टम क्लीयरेंस या बैंकिंग मामलो में समस्या आती है तो हेल्पडेस्क इसका संधान करेगा।

विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कहा, आयात-निर्यात से जुड़े सभी हितधारकों की समस्याओं की निगरानी के साथ तत्काल समाधान की कोशिश की जाएगी। किसी आयातक-निर्यातक को व्यापार में समस्या आ रही है तो डीजीएफटी की वेबसाइट पर सूचना डाले। हेल्पडेस्क के जरिए आयात-निर्यात लाइसेंस, कस्टम क्लीयरेंस, दस्तावेज पुरे करने, भुगतान सम्बन्धी समस्या अथवा व्यापार से जुडी अन्य परेशानी का तत्काल समाधान होगा। हेल्पडेस्क मंत्रालय या विभाग की एजेंसियों, केंद्र-राज्य सरकारों से जुडी व्यापार समस्याओं का भी समाधान करने की कोशिश करेगा।

इंट्रा-डे ट्रेडिंग पर जाने, कैसे लगेगा आयकर

शेयर बाजार के जानकार कुंज बंसल का कहना है कि निवेशक अब एक दिन के भीतर ही स्टॉक की खरीद-फरोख्त करता है, तो उसे इंट्रा-डे ट्रेडिंग कहते है। इस तरह की ट्रेडिंग का मकसद निवेश करना नहीं, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना है। लिहाजा ऐसे मुनाफे को कारोबार से हुई कमाई माना जाएगा। ट्रेडिंग करते समय भी जब निवेशक स्टॉक खरीदेगा, तो भी उसे यह बताना पड़ेगा कि सम्बंधित स्टॉक को इंट्रा-डे के लिए ख़रीदा जा रहा अथवा डिलीवरी के लिए। यहां डिलीवरी का मतलब स्टॉक को एक दिन से ज्यादा समय के लिए रखना है। कोई नौकरी पेशा इंट्रा-डे ट्रेडिंग करता है तो यह कारोबार या पेशे के रूप में अतिरिक्त आय होगी और रिटर्न भरते समय आईटीआर फॉर्म-3 का उपयोग करना होगा। वित्तवर्ष 2020-21 में अगर किसी ने इंट्रा-डे ट्रडिंग किया है तो उसे आईटीआर-3 में इसके मुनाफे या घाटे का विवरण देना होगा।

MUPCCI

निवेशकों के लिए जरुरी जानकारी

1. स्टॉक में निवेश से हुए नुकसान का समायोजन 8 साल किया जा सकेगा।
2. एलटीसीजी से नुक्सानकी भरपाई एसटीसीजी में हो सकेगी, एसटीसीजी की भरपाई एलटीसीजी में नहीं कर सकेंगे।
3. इंट्रा-डे से हुए नुकसान का समायोजन करने को पेशेवर ऑडिट कराना जरुरी होगा।

एक दिन से ज्यादा निवेश तो भरेंगे आईटीआर फॉर्म-2:

स्टॉक में एक दिन से ज्यादा निवेश करने वाले करदाताओं को रिटर्न भरते समय आईटीआर फॉर्म-2 चुनना होगा। ऐसे निवेशकों पर दो तरह से आयकर की देनदारी बनती है। अगर उसने 12 महीने से कम समय के लिए निवेश किया है तो लघु अवधि का पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) कर देना होगा। यह स्टॉक से मुनाफे का 15 % लगता है। अगर निवेश 12 महीने से अधिक समय के लिए हुआ है तो लम्बी अवधि का पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर देना पड़ेगा। यह स्टॉक से 1 लाख रूपये से ऊपर के शुद्ध मुनाफे पर 10 % लगता है। एलटीसीजी के मामले में नुक्सान की भरपाई 8 साल तक की जा सकेगी।

WIPCCI

ऑनलाइन फॉर्म से आयातकों को मिलेगा कस्टम क्लीयरेंस

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने आयातकों से कहा कि ऑक्सीजन व कोविड-19 से जुड़े उत्पादों के कस्टम क्लीयरेंस में दिक्कत आती है, तो एक पेज का ऑनलाइन फॉर्म भरकर इससे बचा जा सकता है। इस फास्ट ट्रैक सुविधा के लिए आयातक को उत्पाद व इसके इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी।

सीबीआईसी के अनुसार, कस्टम क्लीयरेंस से जुड़े नोडल अधिकारियों के नाम और संपर्क पहले ही सार्वजनिक किए जा चुके है। साथ ही सभी कस्टम जोन को कम से कम समय में व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने और उत्पादों की आवाजाही सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दे चुके है। सीबीआईसी ने ट्वीट का बताया, आयातक कोरोना से जुड़े उत्पादों मूलभूत जानकारियां देकर तत्काल कस्टम क्लीयरेंस सुविधा

का लाभ उठा सकते है। एक पेज के इस फॉर्म में बिल नंबर, आयात किए जाने वाले एयरपोर्ट या बंदरगाह का नाम और उत्पाद व इसके इस्तेमाल की जानकारी देनी होगी।

अनुपयोगी नियम-कानून हटाने के लिए उच्चस्तरीय मॉनिटरिंग समूह का गठन

प्रदेश सरकार ने अनुपयोगी नियम, प्रक्रिया, आदेश, निर्देश व कानून को ख़त्म करने से जुड़े कार्य की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक उच्चस्तरीय समूह का गठन किया है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित इस समूह में श्रम, बेसिक शिक्षा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, आबकारी, सहकारिता, उच्च शिक्षा, ऊर्जा, खाद्य एवं रसद, जल शक्ति, पंचायतीराज, कृषि, राजस्व, नगर विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, न्याय व विधाई विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव बतौर सदस्य शामिल किए गए है। सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास इसके सदस्य सचिव होंगे। इस समिति की आवयश्कता अनुसार बैठकें कराने की जिम्मेदारी सदस्य सचिव की होगी।

बताया गया है कि शासन के सभी विभाग अपने यहां लागू कानूनों, विनियमों व नियमो की जांच कर सभी प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिए गैर जरुरी आदेश, निर्देश व नियम को समाप्त करने, कानूनों को कम करने और निरर्थक अधिनियमों को हटाने का काम कर रहे है। यह समूह इन विभागों के स्तर से होने वाली कार्यवाही की प्रगति की निगरानी करेगा और आवयश्कता अनुसार मार्गदर्शन करेगा। समूह में नामित सदस्य ही बैठक में शामिल होंगे, लेकिन विशेष परिस्थितियों में नोडल अधिकारी भी बुलाए जा सकेंगे। इससे अनुपयोगी नियमो, निर्देशों व आदेशों को समाप्त करने या व्यावहारिक बनाने के काम में तेजी आने की सम्भावना है।

WUPCC

पीएफ पर बीमा रकम सात लाख रूपये हुई

श्रम मंत्रालय ने ईपीएफओ में इम्प्लाईज डिपॉजिट लिंक्ड इंसोरेंस (ईडीएलआई) स्कीम, 1976 के तहत अधिकतर बीमा रकम बढ़ाकर सात लाख रूपये कर दी है, जो अभी तक छह लाख थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टी बोर्ड ने श्रम मंत्री संतोष गंगवार की अध्यक्षता में पिछले वर्ष 9 सितंबर को यह सीमा सात लाख तक बढ़ाने का फैसला किया था। योजना के तहत न्यूनतम बीमित राशि ढाई लाख राखी गई है, जिसे 14 फरवरी 2020 के बाद भी जारी रखने का फैसला किया गया है। श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि सात लाख की यह अधिकतम सीमा अधिसूचना जारी होने के दिन से लागू होगी। न्यूनतम ढाई लाख रूपये की समय सीमा 14 फरवरी 2020 को खत्म हो गई थी और इसे अगले दिन यानी 15 फरवरी से लागू माना जाएगा। बोर्ड ने पिछले वर्ष मार्च की बैठक में फैसला भी किया था कि अगर कर्मी ने मृत्यु के माह से पहले 12 माह तक की अवधि में एक से अधिक कंपनियों में काम किया है तब भी उसके परिवार को ईडीएलआई का लाभ मिलेगा।

टैक्स-फ्री नहीं रही पीएफ से हासिल आय

नए वित्त वर्ष में आयकर के नियमो में बदलाव हुआ है। अप्रैल से लागू नई व्यवस्था के तहत 5 लाख रूपये से अधिक की जमा राशि पर मिलने वाला ब्याज टैक्स के दायरे आ गया है। अब तक रही व्यवस्था के अनुसार पीएफ मद में जमा राशि के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता था। कोई भी व्यक्ति वर्ष में पीएफ और अन्य बीमा में ढाई लाख रूपये तक के निवेश पर छूट हासिल कर लेता था। पीएफ मद में जमा कराई जाने वाली राशि और उस पर ब्याज को पूरी तरह टैक्स के बाहर माना जाता था। अब सरकार ने पीएफ पर 5 लाख रूपये तक के सालाना योगदान पर मिलने वाले ब्याज को एक खास वर्ग के लिए टैक्स फ्री कर दिया है। हालांकि अगर पीएफ अकाउंट में कंपनी का अंशदान नहीं है तो सालाना ढाई लाख रूपये के जमा पर हासिल ब्याज ही टैक्स मुक्त रहेगा।

WUPCCI

आयकर नियमो में इस बदलाव से मोटी सैलरी वाले करदाता ही ज्यादा प्रभावित होंगे। देरी से यानी बिलेटेड और रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने की समय सीमा घटा दी गई है। अब इसे 31 मार्च के स्थान पर 31 दिसम्बर कर दिया गया है। सामान्य रूप से किसी वित्त वर्ष में आयकर रिटर्न अगले वित्त वर्ष के 31 जुलाई तक और शुल्क के साथ 31 मार्च तक फ़ाइल करना होता था। लेकिन अब 31 मार्च तिथि घटाकर 31 दिसम्बर कर दी गई है।

नए नियमो के अनुसार 2.5 लाख से ज्यादा वाले यूलिप लिंक्ड इंश्योरेंस पालिसी में छूट नहीं रहेगा। यानी यूलिप के लिए सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रूपये से ज्यादा है तो मैच्योरिटी की रकम टैक्स के दायरे में आएगी। कुछ ख़ास मामलो को छोड़कर आइटीआर फ़ाइल होने के तीन वर्ष बाद इन्हे दोबारा नहीं खोला जा सकेगा। यानी रिटर्न फ़ाइल करने के तीन साल बाद टैक्स के मामले नहीं खोले जा सकेंगे। पहले आयकर विभाग के पास 6 वर्षो तक कभी भी स्क्रूटनी शुरू करने का अधिकार था।

ऑनलाइन एफडी के नाम पर ठगी

भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों और आम जनता को एफडी के रूप में निवेश के लिए ऑनलाइन धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी दी है। बैंक ने कहा कि ऑनलाइन एफडी में धोखाधड़ी को लेकर ग्राहकों की शिकायते मिली है।

बैंक ने अपने ग्राहकों से अपने खाते तक साइबर ठगो की पहुंच को रोकने लिए पासवर्ड/ओटीपी/सीवीवी/कार्ड नंबर आदि जैसे व्यक्तिगत डिटेल शेयर नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही बैंक ने कहा कि बैंक कभी भी फोन, एसएमएस या मेल पर इन डिटेल के बारे में नहीं पूछता है। एसबीआई ने ट्वीट जरिए चेतावनी दी कि हमें रिपोर्ट मिली है कि जहां साइबर अपराधियों द्वारा ग्राहकों के खातों में ऑनलाइन एफडी तैयार किए जाने की सूचना है और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी की कोशिश हो रही है।

WUPCCI

ऐसे दे रहे जालसाजी को अंजाम:

जालसाजों की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए बैंक ने कहा है कि धोखाधड़ी करने वाले (स्कैमर्स) पहले अपने नेटबैंकिंग डिटेल के साथ भोले-भाले ग्राहकों के एफडी खाते बनाते है और कुछ राशि हस्तांतरित करते है और फिर वह इसका लाभ उठाते है। एसबीआई ने कहा है की धोखाधड़ी करने वाले अपने को बैंक अधिकारी बताकर ग्राहक से ओटीपी मांगते है। इसके बाद ग्राहक यदि ओटीपी शेयर करता है तो एफडी राशि को अपने खाते में स्थांतरित कर लेते है।

आरसी ट्रांसफर के आसान नियम अधिसूचित

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी वाहन के मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने की नई और आसान प्रक्रिया अधिसूचित कर दी है। इसके लिए मंत्रालय ने कुछ समय पहले केंद्रीय मोटर वाहन, 1989 में कुछ बदलाव किए थे। इन बदलावों से मोटर वाहन मालिक की मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से वह वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी।

नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक पंजीकरण के समय किसी व्यक्ति को कर सकते है। वे बाद में ऑनलाइन आवेदक के माध्यम से भी ऐसा कर सकते है। वाहन पंजीकरण में नामित को शामिल करने की पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग-अलग तरह की है।

अधिसूचना के मुताबिक़ नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण जमा करना होगा।

WUPCL

बाद में भुगतान सुविधा घाटे का सौदा (अभी ख़रीदे और बाद में चुकाए स्कीम)

इन दिनों ई-कॉमर्स और फिनटेक कंपनियों द्वारा अभी ख़रीदे और बाद में चुकाए स्कीम को जोर-शोर से प्रसारित किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस स्कीम के साथ जुड़ भी रहे है। वैसे तो यह स्किम सुनने में बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड की तरह बाद में भुगतान की सुविधा मिलती है लेकिन अगर आप सही समय पर भुगतान नहीं पाते है तो आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होता है और कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है।

क्रेडिट स्कोर पर सीधा असर : क्रेडिटमंत्री सह-संस्थापक, रंजीत पुंजा ने बताया कि अभी ख़रीदे और बाद में चुकाए स्किम जरूर आकर्षक लगती है लेकिन बिल भुगतान तय समय नहीं करने पर यह क्रेडिट स्कोर पर असर डालती है। यह एक तरह का क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन है। ऐसे में भुगतान से चूक पर आपका क्रेडिट स्कोर गिरता है। ऐसे में आगे आपको बैंक से लोन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

जरुरी नहीं तो लोन से बचे : अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या आप वित्तीय रूप से मजबूत है तो अभी ख़रीदे और बाद में चुकाए स्किम को लेने से बचने की कोशिश करे। क्रेडिट कार्ड में भी आपको 40 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। आप क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कर यह सुविधा ले सकते है। आमतौर पर इसमें सिर्फ 5000 से 10000 रूपये तक की क्रेडिट ही उपलब्ध कराइ जा रही है जो बहुत ही कम है।

कैसे काम करती है यह स्कीम:

अभी ख़रीदे और बाद में चुकाए स्कीम के तहत आपको कोई चीज अभी खरीदकर बाद में किश्तों में भुगतान करने की सुविधा देती है। इसका सबसे बेसिक फॉर्मेट यह है कि जब किसी फिनटेक फर्म के साथ अपना खाता खोलते है और उसमे अपना रजिस्ट्रेशन करवाते है तो यह फर्म आपको अपने किसी पार्टनर मर्चेंट (ऑनलाइन स्टोर) के साथ आपको खरीदारी की सुविधा देती है। यह खरीदारी आप अग्रिम तौर पर करके 15 से 30 दिन में इसका भुगतान करते है। लेकिन अगर किसी स्थिति में आप अपनी खरीद के लिए निर्धारित भुगतान तय अवधि में नहीं कर पाते है तो आपको भारी ब्याज चुकाना होता है।

WUPCCI

खेती की जमीन पर मकान बनाया तो देनी होगी फीस

शहरों में खेती की जमीन लेकर मकान या फिर दुकान बनाने वालो से अनिवार्य रूप से 'इम्पैक्ट फीस' यानी प्रभार शुल्क लिया जाएगा। अभी तक प्रदेश भर के विकास प्राधिकरणों में इसे अनिवार्य रूप से नहीं वसूला जा रहा है। इस फीस के एवज में लोगो को सड़क या फिर अन्य नागरिक सुविधाएं दी जाएगी। उच्चाधिकारियों की बैठक में इस पर सहमति बन गई है और जल्द ही इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश सभी विकास प्राधिकरणों को दिया जाएगा। शहर और क्षेत्रफल के आधार पर इम्पैक्ट फीस ली जाएगीं।

बढ़ रहा है शहरी दायरा:

शहरी दायरा तेजी से बढ़ रहा है। विकास प्राधिकरणों के पास जमीन न होने की वजह से लोग आवासीय सोसाइटियों से जमीन लेकर उस पर मकान बना रहे है। अधिकतर आवासीय सोसाइटियां खेती की जमीन पर प्लाटिंग करके उसे बेच देते है।

आवासीय सोसाइटियां न तो इसका ले-आउट पास करती है और न ही इसका भू-उपयोग परिवर्तन कराती है। इसके चलते सोसाइटियों के आसपास बनी सड़को या फिर अन्य नागरिक सुविधाओं वाले स्थानों पर भार पड़ता है। खासकर विकास प्राधिकरण की योजनाओं से सटी हुई कॉलोनियों में ऐसा होता है, इसीलिए ऐसे लोगो को इम्पैक्ट फीस लेने की तैयारी है।

अधिनियम में संशोधन किया जाएगा:

आवास विभाग जरुरत के आधार पर विकास प्राधिकरण नियम में संशोधन भी करेगा, जिससे इसे अनिवार्य रूप से वसूला जा सके। इसके बाद विकास प्राधिकरण ऐसे मामलो में मनमाने तरीको से छूट भी नहीं दे पाएंगे। प्रदेश विकास प्राधिकरणों में अभी इम्पैक्ट फीस लेने की व्यवस्था है, लेकिन सभी विकास प्राधिकरणों में नहीं लिया जा रहा है। जहां लेने की व्यवस्था भी है वहां इसमें मनमाने तरीके से छूट दे दी जाती है।

XXXXXXXXXXXXX

MUPCL